

24/12 पञ्चवली पेश दुर्ग वकुलाप उन्नपपक्ष  
उप) प्रकरण में बहस वकुलाप उन्नपपक्ष पूर्व  
में हुनी जा चुकी है। वरवत्त बहस वकुलाप  
उन्नपपक्ष ने भुगतबिहू शम्तीनामा दावा डिक्री  
फरमाते का निवेदन किया।

पञ्चवली पर उपलब्ध सामान्य रिकार्ड,  
मुख्य परीक्षण बाबत पेश किये गये शपथ पत्रों  
एवं शम्तीनामा का अवलोकन किया गया एवं बहस  
वकुलाप उन्नपपक्ष पर सगौर मन्न किया गया  
जिनसे वादीगण का वाद स्वीकार किया जाने योग्य  
पाया जाने पर स्वीकार किया जाकर भुगतबिहू  
शम्तीनामा डिक्री किया जाता है। शम्तीनामा डिक्री  
का भाग रहेगा। भुगतबिहू शम्तीनामा राजस्व  
रिकार्ड में अमल दराफ्त हो। तदनुसार डिक्री  
जारी हो। पञ्चवली कैमल शुमार होकर नम्बर  
से कम हो तथा वाद तम्तील दारकिल दफ्तर  
हो। अ निर्णय आज दिनांक 24/12/19 से भेरे  
द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

24.12.19  
(राजेश्वर सिंह)  
सहायक कलेक्टर  
(फास्ट ट्रेक) जयपुर  
RAB



अभिज्ञ

डिकी मुकदमा इबतदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाका दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) खण्डेला मुकाम खण्डेला

बइजलास श्री रणजीत सिंह (आर.ए.एस )

1) बन्नवारी पुत्र गणपतराम 2) मटियाल 3) विनयपाल पुत्रगण  
बन्नवारी लाल जाति कार वि. गोविन्दपुरा तह. खण्डेला जिला  
सीकर (राज.)

बनाम

1) सागर सिंह पुत्र गणपतराम 2) धर्मेश सिंह पुत्र सागर सिंह  
3) शंभरी देवी पत्नी धर्मेश सिंह 4) राजकुमार पत्नी सागर सिंह

दावा बाबत घोषणा स्वाप्ती निवेद्याना व बंधवारा

मुकदमा नं० 45 सन् 2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु श्री रणजीत सिंह आर.ए.एस व हाजिरी श्री बन्नवारी लाल दांगु एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रुबरु श्री रामेश्वर तेरवाल फ. मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिकी दी जाती है कि दादीजाका का दादा स्वीकार योग्य पात्र जाने पर स्वीकार किया जाका मुताबिक शमीनामा डिकी किया जाका है। शमीनामा डिकी का आग रहेगा। मुताबिक शमीनामा शान्ति रिमाई में अमल करातक हो।

निज..... मुबलिंग..... बाबत..... खर्चा  
इस मुकदमें के मय सूद बशरह..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ..... का अदा करें।

बसवल मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 24 माह 12 सन 2019 को जारी की गई।



दस्तखत  
24.12.19  
सहायक कलक्टर  
ओहदा  
(फास्ट ट्रेक) खण्डेला

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक			स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।